



2026:AHC:37417

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3202 वर्ष 2026

ऊषा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अक्षय कुमार शुक्ला, रविंद्र पाल सिंह कश्यप

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादी(गण) को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित होता/होती है, तो वह रिकॉल आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।
3. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद को यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 32/38 के तहत दायर आवेदन दिनांक 15.04.2025 को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, वर्तमान याचिका प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद को उपरोक्त आवेदन कानून के अनुसार कड़ाई से, यथाशीघ्र और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर, सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद निस्तारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है, बशर्त कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

19 फरवरी, 2026

सकलेन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"